

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल,  
आई.पी.एसटे, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली |

फा.सं. 08(01)/2012-क०सं० एवं भाषा/ १२०५-०८

दिनांक: ८/८/१२

सेवा में

- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली / नई दिल्ली।
  - दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय / बोर्ड / उपक्रम दिल्ली / नई दिल्ली।
  - आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
  - विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।

**विषय:** दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापनों को हिन्दी में प्रकाशित कराने को सुनिश्चित कराने हेतु अनरोध।

महोदय / महोदया

इस सरकार के अनेक विभाग तथा उनके अधीन स्वायत्त निकाय/उपक्रम/प्रतिष्ठान/विश्वविद्यालय समय-समय पर विभाग में रिक्त स्थानों को भरने, निविदा सूचना आमंत्रित करने, राजधानी में फैलने वाले संक्रामक रोगों के लक्षणों तथा बचाव के बारे में जनता को जागरूक करने, प्रेस नोट, जन साधारण सूचना, राजकीय समारोह में जनसाधारण को आमंत्रित करने, रुचि की अभिव्यक्ति, किसी क्षेत्र में जलापूर्ति तथा विजली पूर्ति इत्यादि संबंधी कटौती करने इत्यादि संबंधी जनसाधारण को जानकारी देने के लिये दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन इत्यादि देते रहते हैं। इनमें अधिकतर विज्ञापन अंग्रेजी भाषा में होते हैं, जहाँ तक कि हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में भी ऐसे विज्ञापन अंग्रेजी में प्रकाशित होते हैं इस विभाग को हिन्दी की एक अग्रणी संस्था, शिक्षा संस्कृति, उत्थान न्यास ने अपने पत्र में प्रेस कतरनों सहित सोदाहरण जानकारी भी दी है। ऐसा करना राजभाषा नियमावली के नियमों के उपर्यांतों का घोर उल्लंघन है। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाओं इत्यादि में विज्ञापन हिन्दी में सुनिश्चित कराने संबंधी अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुपालनार्थ उन्हें यथोचित निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय

राजेश सचदेवा  
(राजेश सचदेवा)  
उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)  
दूरभाष संख्या: 23392377

फा.स. ०८(०१) / २०१२-क०सं० एवं भाषा / १७०९-२।

दिनांक: ६ (४)।।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :—

१. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
२. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विभानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
३. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री, वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
४. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, ५वां तल दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
५. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली ।
६. सभी भाषा अकादमियों, साहित्य कला परिषद्, गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् के केयर टेकिंग शाखा/क्रय शाखा/सूचना एवं प्रचार शाखा को उनके सचिवों के माध्यम से ।
७. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली ।
८. उप-निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-५४ को दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापनों को हिन्दी में प्रकाशित कराने संबंधी अपनी प्रेस कतरन सेवा के माध्यम से केवल अंग्रेजी में विज्ञापन देने वाले विभागों का पता लगाकर उन्हें सोदाहरण अवगत कराके संबंधित विभाग को अपेक्षित जानकारी सुनिश्चित कराने के अनुरोध सहित ।
९. अधीक्षक/उर्दू अधिकारी, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली ।
१०. श्री सुरेश कुमार शर्मा, तकनीकी सहायक (हिन्दी)/श्री आमोद कुमार शर्मा, तकनीकी सहायक (हिन्दी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने संबंधी ।
११. श्री मोहम्मद अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर को विभागीय वेबसाइट में डाउनलोड करने के अनुरोध सहित ।
१२. अध्यक्ष, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, ३१, उत्तरी परिसर, रामा कृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली ।
१३. सचिव, शिक्षा संस्कृति एवं उत्थान न्यास सरस्वती बाल मंदिर, जी ब्लाक नारायण विहार, नई दिल्ली-२८ को उनके दिनांक २९.६.२०१२ के पत्रांक शिक्षा सं. उ. न्यास/रासर./विज्ञापन/२०११-१२/२ के संदर्भ में।
१४. गार्ड फाइल ।

८१२-२१

(राजेश सचदेव)  
उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)